मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

एफ. क्रमांक 6-2-77-3-1 भोपाल, दिनांक 27 अगस्त 1977—श्रावण 5, 1899

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय.—निलंबित शासकीय सेवकों को निर्वाह भत्ता देने के संबंध में.

शासन के पास इस बात की समय-समय पर शिकायत प्राप्त होती रहती है कि शासकीय सेवक को निलंबन में रखने के बाद उसे नियमित रूप से निर्वाह भत्ते के भुगतान करने में कई अधिकारी किसी न किसी बहाने उपेक्षा करते रहते हैं. इस प्रकार की उपेक्षात्मक कार्यवाही को बन्द करने की दृष्टि से शासन द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि निलंबित शासकीय सेवक को नियमानुसार समय पर निर्वाह भत्ते के भुगतान करने में किसी भी प्रकार का विलम्ब न किया जाए. यदि किसी मामले में यह पाया जाए कि निलंबित शासकीय सेवक को समय पर निर्वाह भत्ता का भुगतान नहीं किया जाता है तो जिम्मेदार अधिकारी को समुचित दण्ड दिया जाए.

2. शासन द्वारा इस संबंध में पूर्व में निकाले गए * अनुदेशों की प्रतियां संलग्न कर यह स्पष्ट किया जाता है कि निलंबित शासकीय सेवक के निर्वाह भत्ते से वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2105-2536-चार-आर-5, दिनांक 23 दिसम्बर 1959, 2107-1370-चार-आर.-5, दिनांक 28 सितम्बर 1960 तथा 224-4-नि-3-सी. आर.-1-एफ. 15(सी)-5-73-आर.-तीन, दिनांक 29 जनवरी, 1975 में उल्लिखित कटौतियों को छोड़कर अन्य किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है और न निर्धारित मुख्यालय से बिना अनुमति प्राप्त किंए अनुपस्थित रहने के कारण निर्वाह भत्ता ही रोका जा सकता है.

3. आपसे निवेदन है कि आप अपने अधीनस्थ सभी सक्षम प्राधिकारियों से इस अनुदेश का पालन कड़ाई से कराएं तथा शासन के आदेश के उल्लंघन करने पर जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें.

(शशांक मुकर्जी,)
सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

---

(1) सामान्य प्रशासन विभाग का दिनांक 26 सितम्बर, 1962 का ज्ञापन क्रमांक 2136/1392/1(3) 62.

(2) सामान्य प्रशासन विभाग का दिनांक 31 जनवरी, 1963 का ज्ञापन क्रमांक 231/सी. आर. 557/1 (3) 62.

(3) सामान्य प्रशासन विभाग का दिनांक 26 सितम्बर, 1968 का ज्ञापन क्रमांक 21709/सी. आर. 260/1(3) 68.

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
****

Memorandum

No. 231/CR.557/I(iii)/62 Bhopal the 11 Magh. 1884.
31st Jany. 1963.

To

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments, and
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject:- Payment of subsistence allowance to a Government servant placed under suspension.

****

Attention is invited to this Department's Memorandum No. 2136-1492-I(iii)/62, dated the 26th September, 1962, in which it was made clear that a Government servant under suspension must be paid subsistence allowance at the prescribed rates, and that the competent authority had no discretion either to withhold it or to order recoveries therefrom, except the deductions mentioned in the Finance Department's Memorandum Nos. 2105-2536-IV-R-V, dated the 23rd November, 1959 and 2107-1370-IV-R-V, dated the 28th September, 1960. Despite these clear instructions, a case has recently come to the notice of Government in which the payment of subsistence allowance to a Government servant under suspension was stopped to effect recovery from him of an amount which was found to have been defalcated by him. Such action was wholly unauthorised and against the specific directions contained in this Department's Memorandum under reference read with paragraph 4(iii) of Finance Department's Memo. No. 2105-2536-IV-R-V, dated the 23rd November, 1959.

2/ The State Government have taken a serious view of the matter and desire that the orders contained in this department's memorandum dated 26.9.62 should be strictly followed in future. No unauthorised deductions or recoveries should be made from the subsistence allowance of a Government servant. If there is any breach of these orders, the officer wrongly withholding payment will be held personally responsible and will make himself liable for disciplinary action.

Sd/- R.S.S.Rao
Deputy Secretary to Government
Madhya Pradesh,
General Administration Department.

...2...

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH
GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT

*****

Memorandum

No. 2136-1492-I(iii)/62 Bhopal the 4th Asvn. 1884.
26th Sept. 1962.

To

All Departments of Government,
The President, Board of Revenue,
All Commissioners of Divisions,
All Heads of Departments, and
All Collectors,
Madhya Pradesh.

Subject:- Payment of subsistence allowance to a Government servant placed under suspension.

.....

Fundamental Rule 53-A confers an absolute right on a Government servant under suspension to subsistence allowance at certain prescribed rates. When a Government servant is placed under suspension in connection with any departmental proceedings or prosecution launched against him, the competent authority is bound to sanction subsistence allowance and no discretion is vested in him either to withhold it or make any recoveries therefrom except the deductions mentioned in Finance Department memoranda Nos. 2105-2536-IV-R-V dated 23.11.1959 and 2107-1370-IV-R-V, dated 28.9.1960. Nevertheless, instances have come to notice where payment of subsistence allowance to a Government servant placed under suspension, in accordance with the provisions of F.R. 53-A, has been withheld without justification.

2/- Government desire that the correct position in this behalf should be impressed on all concerned.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh,

Sd/- R.S.S. Rao
Deputy Secretary to Government
Madhya Pradesh,
General Administration Department.

....2.....

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक 21709/सी आर -260/1(3)/68 भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर, 1968

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश ।

विषय :- निलंबन काल में शासकीय सेवकों को निर्वाह भत्ता देने बाबत ।

शासन के ध्यान में ऐसे मामले आए हैं, जिनमें निलंबित शासकीय कर्मचारियों को निलंबन काल के लिए निर्धारित मुख्यालय से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के कारण निर्वाह भत्ते का भुगतान नहीं किया गया । इस संबंध में इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 231-सी आर 557/1(3)/62 दिनांक 31 जनवरी, 1963 में स्पष्ट आदेश दिए हैं कि निलंबित शासकीय कर्मचारी को निर्धारित दर पर निर्वाह भत्ते का भुगतान अवश्य किया जावे तथा सक्षम प्राधिकारी को निर्वाह भत्ता रोकने तथा वित्त विभाग के ज्ञाप क्रमांक 2105-2536-4-आर पाँच दिनांक 23-11-59 तथा 2107-1370-4-आर पाँच दिनांक 28-9-60 में बतलाई कटौतियों को छोड़कर उससे और कोई वसूली करने का अधिकार नहीं है । आगे यह भी स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित मुख्यालय से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने के कारण भी निलंबन भत्ता नहीं रोका जा सकता । यदि सक्षम अधिकारी चाहे तो इस अनुशासन-हीनता के लिए अतिरिक्त आरोप लगाकर विभागीय जांच कर सकता है ।

शासन चाहता है कि इन आदेशों का भविष्य में दृढ़ता से पालन किया जावे ।

हस्ता/-एम० एस० सिंहदेव

अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग